यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकर० स0 : 30/2018

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ

– प्रार्थी

बनाम

मधु सर्राफ पत्नी श्री विजय सर्राफ जाति महाजन निवासी भादरा

– अप्रार्थीया

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज नायब तहसीलदार भादरा : प्रार्थी

श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ एडवोकेट : अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 26.2.2018

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 10 बारानी के खाता सं. 15/14 मु0 नं0 34 के किला नं. 16/1 की 0.158 हैक्टर, किल नं. 24/1 की 0.126 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर, मु0 नं0 52 के किला नं. 4 की 0.127 हैक्टर, किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 6/1 की 0.063 हैक्टर कुल 0.980 हैक्टर बारानी मय रास्ता वर्तमान में अप्रार्थीया मधु के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ स्कूल भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। इस प्रकार कृषि जोत के स्वरूप का परिवर्तन किया जा रहा है।

चक 10 बारानी की उपर वर्णित कुल 0.980 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि में खातेदार द्वारा कृषि के लिए दी गई जोत की शर्तो को उल्लघंन कर स्कूल भवन का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर दिया गया है जो काबिले सिवाय चक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए।

खातेदार द्वारा विधि विरूद्ध मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि भूमि को अकृषि कार्य में बिना सरकार की स्वीकृति लिये उक्त कार्यवाही कर

.............2

रही है। उक्त कृषि भूमि काश्त के काम में नही ली जा रही व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। अप्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को जरिऐ नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीया ने जरिऐ अधिवक्ता उपस्थित अदालत होकर अपना जबाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी चक 10 बारानी के खाता सं. 15/14 के मु0 नं0 34 के किला नं. 24/1 एवं किला नं. 25 में 1438.88 वर्गगज भूमि को कृषि भूमि से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करवाने हेतु एक पत्रावली नगरपालिका भादरा में जरिऐ रसीद संख्या 76 दिनांक 22.12.2017 राशि 12040/रूपये नियमानुसार जमा करवाई हुई है जिस पर नगरपालिका भादरा द्वारा एक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति एवं दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित करवाई गई है एवं विधि सम्मत तरीके से मिन अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित नक्शा के अनुसार निर्माण करवाने हेतु तैयारी की जा रही है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि नगरपालिका भादरा के पैराफेरी क्षेत्र के अधिन है ऐसी सुरत में भूमि परिवर्तन एवं निर्माण ईजाजत तामिर के लिए अधिकार क्षेत्र नगरपालिका भादरा को है। मिन अप्रार्थीया द्वारा किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लघंन नही किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। राज पेरोकार में अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि को अप्रार्थीया स्कूल भवन निर्माण कर अकृषि कार्य के प्रयोजनार्थ काम में ले रही है जिससे राज्य सरकार अपूर्णीय राजस्व हानि उठानी पड़ रही है। अधिवक्ता अप्रार्थीया ने इसके खण्डन में निवेदन किया कि अप्रार्थीया अपनी खातेदारी चक 10 बारानी के खाता सं. 15/14 के मु0 नं0 34 के किला नं. 24/1 एवं किला नं. 25 में 1438.88 वर्गगज भूमि को कृषि भूमि से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करवाने हेतु एक पत्रावली नगरपालिका भादरा में जरिऐ रसीद संख्या 76 दिनांक 22.12.2017 राशि 12040/रूपये नियमानुसार जमा करवाई हुई है जिस पर नगरपालिका भादरा द्वारा एक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति एवं

.............3

दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित करवाई गई है एवं अप्रार्थीया कृषि भूमि को शैक्षिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने के लिए विधि सम्मत तरीके से नगरपालिका भादरा में राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है। ऐसी सुरत में राज्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच रही है। हस्तगत भूमि नगरपालिका भादरा के पैराफेरी क्षेत्र में होने के कारण अप्रार्थीया को कृषि भूमि को शैक्षिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने के लिए अनुमति सादिर फरमाई जावे।

हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थीया द्वारा चूंकि कृषि भूमि को शैक्षिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण करवाने के लिए सक्षम विभाग में पत्रावली जमा करवाई जा चुकी है व कार्यवाही जैरकार है परन्तु अप्रार्थीया भूमि रूपान्तरण करवाये बिना निर्माण कार्य करने में सक्षम नही है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी 212 आरटीए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीया को विधि के अनुरूप अपनी चक 10 बारानी के खाता सं. 15 / 14 में वर्णित 0.980 हैक्टर कृषि भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नगरपालिका भादरा से रूपान्तरण करवाने के लिए स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थीया को ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूल वाद के निर्णय तक चक 10 बारानी के खाता सं. 15 / 14 में वर्णित 0.980 हैक्टर कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग न करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे, रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे ।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ